प्रेस नोट- जुलाई 13, 2023

उ.प्र. रेरा ने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आवंटी की देनदारी शून्य करते हुए इकाई का कब्जा दिलवाया

उ.प्र. रेरा कन्सिलीएशन फोरम के प्रयासों से **प्रोमोटर 'मेसर्स महालक्ष्मी रियलटेक प्रा.लि.' की गाज़ियाबाद स्थित 'मिगसन रुफ' परियोजना के आवंटी "श्री गोरव आनंद"** को **पीठ से पारित "आदेश का कार्यान्वन" सुनिश्चित करवाते हुए इकाई का कब्जा दिलवाया, शुल्कों का परस्पर समायोजन कराकर देनदारी शून्य करवाया तथा कब्जे में हुए विलम्ब हेतु 3 वर्षों से चल रहे विवाद का समझौता आपसी सहमति से** समाप्त करवाया।

माननीय पीठ की सुनवाई में **प्रोमोटर ने तय समय से कब्जा न देने बात स्वीकार की थी।** 'एग्रीमेन्ट फॉर सेल' के अनुसार आवंटी ने प्रोमोटर को **जून 2017 में बुक** की गई **लगभग 29 लाख 50 हजार की लागत वाले इकाई के लिए सभी शुल्कों सहित पूर्ण धनराशि का भुगतान** कर दिया था **जिसका कब्जा दिसम्बर 2019 में प्राप्त** होना था। लेकिन तय समय तक इकाई का कब्जा न मिलने, अंतिम मांग राशि तथा विलंबित अवधि के ब्याज का समाधान न प्राप्त होने पर आवंटी ने 2021 में उ.प्र. रेरा में शिकायत **(NCR145/04/73821/2021)** दर्ज की थी। सुनवाई में पारित आदेश आवंटी के पक्ष में आया था जिसका अनुपलान प्रोमोटर द्वारा किया जाना था।

गाज़ियाबाद निवासी, आवंटी गोरव आनंद ने पारित **आदेश का कार्यान्वन** सुनिश्चित करवाने हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन '**आदेश का अनुपालन कराने का अनुरोध**' दर्ज किया था जिसकी अग्रिम प्रक्रिया में मामला कन्सिलीएशन फोरम में प्रेषित किया गया जहाँ श्री आर डी पालीवाल, कन्सिलीएशन कंसल्टेंट ने मध्यस्थता की। प्रोमोटर ने आवंटी को **पूर्ण सुविधाओं सहित इकाई का अविलंब कब्जा देने एवं आवंटी पर लगे शुल्कों का समायोजन कब्जा देने में हुई देरी के ब्याज में करते हुए विवाद समाप्त करने का प्रस्ताव आवंटी** को दिया था। प्रोमोटर के प्रस्ताव से सन्तुष्ट आवंटी ने प्राधिकरण के समक्ष समझौता सम्पन्न कर एक प्रतिलिपि जमा की और अंततः **जून 2023 में इकाई का कब्जा प्राप्त होने पर उ. प्र. रेरा के प्रयासों की सराहना की।**

महत्वपूर्ण बात यह है कि आवंटी **ने प्रोमोटर द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर प्राधिकरण को सूचित किया** जिससे आगे की प्रक्रिया शीघ्रता से सम्पन्न हो सकी। उ.प्र. रेरा द्वारा रिफण्ड और कब्जे के मामलों में **पीठ से जारी आदेश का अनुपालन** कराने हेतु अब तक **लगभग 14120 मामलों में अनुरोध प्राप्त हुआ है जिनमें से लगभग 10470 मामलों में सफलतापूर्वक अनुपालन** कराया जा चुका है **जो 74 प्रतिशत के बराबर** है। **यदि कोई प्रोमोटर किसी उपभोक्ता/ शिकायतकर्ता को प्राधिकरण से प्राप्त आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा तो उपभोक्ता अविलंब उ.प्र. रेरा के पोर्टल (www.up-rera.in) पर 'ऑर्डर एक्सक्यूशन रीक्वेस्ट' या 'आदेश अनुपालन का अनुरोध' दर्ज कर सकते है।**